न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -66/2024

अनवान

1. बबलू पुत्र मांगीलाल, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. प्रेमबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी रामलाल, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बक्षपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. पारी बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी फौरू, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बक्षपुरा हाल लसाणा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. गीता बाई पुत्री मांगीलाल पत्नी मोड़ू, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम बक्षपुरा हाल जावरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

-वादी /प्रार्थी

बनाम

1. उंकार पुत्र गमेर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. देवीलाल पुत्र किशना, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. मांगीलाल पुत्र किशना, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. रूपलाल पुत्र काना, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित - श्री जितेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 एकतरफा कार्यवाही व 3,4 जवाब प्राप्त
अप्रार्थी संख्या 05 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 19.12.2024

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगणों के स्वर्गीय पिता श्री मांगीलाल पुत्र काना तथा दादी स्वर्गीय श्रीमति भूरी पत्नी काना के संयुक्त खाते काश्त की कृषि आरराजीयात ग्राम झरझनी, पटवार हल्का झरझनी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 279, खसरा संख्या 229, कुल किता 01, कुल रकबा 0.1100 हैक्टर में हम वादीगणों के पिता स्व0 मांगीलाल तथा दादी स्व0 भुरी की जाति अहीर (यादव) लिखी हुई है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात हम वादीगणों के पिता मांगीलाल तथा दादी भुरी के खते नाम 1/6-1/6 दर्ज रिकॉर्ड है स्वर्गीय मांगीलाल व भूरी के वारिसान का सजरा निम्न प्रकार हैं उपरोक्त सजरे अनुसार हम वादीगण स्व0 भूरी तथा स्व0 मांगीलाल जी के वारिसान हैं

(स्वर्गीय श्रीमति भूरी)

(स्वर्गीय श्री मांगीलाल)

प्रेमबाई	पारी बाई	दुर्गालाल	... बाई	बबलू
पुत्री	पुत्री	पुत्र	पुत्री	पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

अभी रावतभाटा तहसील में सेटलमेन्ट का कार्य हुआ। उक्त सेटलमेन्ट से पूर्व स्वर्गीय मांगीलाल तथा स्वर्गीय भुरी के खाते काश्त की कृषि आराजीयात के सम्वत् 2055-2058 की जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड जिसके खाता संख्या नया 29, पुराना 28, खसरा संख्या 31 में जाति भील लिखी हुई है, जबकि सेटलमेन्ट के बाद पैरा संख्या 01 में वर्णित नये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्वर्गीय मांगीलाल तथा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

स्वर्गीय भूरी की जाति अहीर (यादव) लिखी हुई है, इसलिए स्वर्गीय मांगीलाल तथा स्व0 भूरी की मृत्यु पश्चात उक्त वर्णित कृषि आराजीयात का इंतकाल खुलने तथा विद्युत कनेक्शन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारी की भूल व त्रुटिवश हुई है, इसलिए उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित खाते में वादीगणों के पिता स्व0 मांगीलाल तथा दादी स्व0 भुरी की जाति भील किये जाने हेतु इन्द्राज दुरूस्ती का यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजीयात में सहखातेदार होने से इन्हें पक्षकार बनाया गया है, लेकिन इनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाही गई है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम व प0ह0 झरझनी की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता संख्या 279, खसरा संख्या 229, कुल किता 01, कुल रकबा 0.1100 हैक्टर कृषि आराजीयात में प्रार्थीगणों के पिता स्व0 मांगीलाल तथा दादी स्व0 भूरी की जाति भील किये जाने का आदेश प्रदान कर इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 से 02 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 28.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित हो जवाब प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 स्वीकार है, वादीगणों के स्वर्गीय पिता मांगीलाल पुत्र काना तथा स्वर्गीय दादी श्रीमति भूरी पत्नी काना व हम प्रतिवादीगण 03 व 04 के संयुक्त खाते काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम झरझनी प0ह0 झरझनी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ में स्थित है, जिसकी खाता संख्या 279 खसरा संख्या 229 कुल किता 01 कुल रकबा 0.11है0 है, जिसमें वादीगणों के पिता मांगीलाल व दादी भूरी व हम प्रतिवादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादी पत्र की कॉलम संख्या 02 स्वीकार है, सेटलमेंट से पूर्व स्वर्गीय मांगीलाल तथा स्वर्गीय भूरी के खाते काश्त की कृषि आराजीयात के सम्वत 2055-58 की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड जिसकी खाता संख्या नया 29 व पुराना 28 खसरा संख्या 31 में जाति भील लिखी हुई है, जबकि सेटलमेंट के बाद खाता संख्या 279 खसरा संख्या 229 नये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में स्वर्गीय मांगीलाल व भूरी की जाति अहीर (यादव) लिखी गई है, इसलिए स्वर्गीय मांगीलाल व स्वर्गीय भूरी की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित आराजीयात का इन्तेकाल खुलने तथा विद्युत कनेक्शन में वादीगणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जबकि वादीगणों के पिता स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र काना तथा दादी स्वर्गीय भूरी की जाति भील है और यही सत्य है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 स्वीकार है।

अप्रार्थी संख्या 05 पेरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 3, 4 द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इकबाले जवाब प्रस्तुत कर किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 05 पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करन से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम व प0ह0 झरझनी की जमाबंदी सम्वत 2055-58 की जमाबंदी में दर्ज खाता संख्या 29 खसरा संख्या31 में जाति भील लिखी हुई है, जबकि सेटलमेंट के बाद पैरा संख्या 01 मे वर्णित ग्राम व प0ह0 झरझनी की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 279 खसरा संख्या 229 कुल किता 01 कुल रकबा 0.11है0 भूमि में प्रार्थीगण के पिता स्व0 मांगीलाल तथा दादी स्व0 भूरी की जाति अहिर (यादव) दर्ज कर दी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के पिता स्व0 मांगीलाल एवं स्व0 दादी भूरी की जाति भील करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:21:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार [illegible] झरझनी की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या [illegible] कुल रकबा 0.11है0 भूमि प्रार्थीगण के पिता स्व0 मांगीलाल [illegible] भील दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये ज[illegible]।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सुनाया गया।

(महेश गगोरिया)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)